

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
क्रमांक:एफ4( )परावि/पी.सी./आदर्शग्राम/06/1217 जयपुर,दिनांक: १५-०६-२००७  
प्रशासनिक स्वीकृति  
(नये कार्यों के लिए)

“दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना” के अन्तर्गत जिला परिषदों के पत्रांक 1177 दिनांक 8.3.2007 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार वर्ष 2007-08 में सम्पादित काराये जाने वाले निम्नांकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (अ) जिला:- भरतपुर  
(ब) गांव का नाम:- लहचोराकलां पंचायत का नाम:-लहचोराकलां पंचायत समिति:- बयाना  
(स) गांव के चयन की तिथि 18-1-2007

(राशि रु. लाखों में)

| क्र.स. | कार्य का नाम                          | स्वीकृत राशि |                    |  |
|--------|---------------------------------------|--------------|--------------------|--|
|        |                                       | कुल          | DDUAGY मद से (90%) | दिशा निर्देश के पैरा 2.5 के अनुसार श्रमदान अथवा जन सहयोग (10%) |
| 1      | बस स्टाप निर्माण झील चौराहा पर        | 2.00         | 1.80               | 0.20   |
| 2      | अति.हॉल पुस्तकालय हेतु पंचायत भवन में | 1.50         | 1.35               | 0.15   |
| 3      | एनिकट निर्माण लहचोराकलां-एक           | 4.00         | 3.60               | 0.40   |
| 4      | प्रा.वि.भवन निर्माण एवं चार दीवारी    | 4.00         | 3.60               | 0.40   |
| 5      | खेल मैदान मा.वि. लहचोरा               | 3.00         | 2.70               | 0.30   |
| 6      | पशु चिकित्सा उप केन्द्र भवन निर्माण   | 3.00         | 2.70               | 0.30   |
| 7      | आई.ई.सी.                              | 0.50         | 0.50               | -  |
|        | योग                                   | 18.00        | 16.25              | 1.75   |

उपरोक्त कार्यों के क्रियान्वयन में निम्न शर्तों का पालन किया जायेगा :-

- 1- तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार जारी करने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जावेगा।
- 2-ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2004 में निर्दिष्ट मापदण्डों एवं व्यवस्थाओं तथा योजना के प्रावधानों की पालना करते हुये ही कार्य का सम्पादन किया जावेगा।
- 3- आई.ई.सी. गतिविधि का सम्पादन जिला स्तर से निर्धारित एन.जी.ओ. द्वारा किया जावेगा।

(खेमराज)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-

- 1- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, भरतपुर।
- 2- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बयाना (भरतपुर)।
- 3- सरपंच, ग्राम पंचायत, लहचोराकलां पंचायत समिति, बयाना (भरतपुर)।

शासन सचिव एवं आयुक्त